निगरानी / टी.ए./ 8036 / 2001 / नागौर
श्रीमती चंद्रकंवर वगैरह बनाम गोपालसिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थी । श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलेक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण ने एक वाद इस्तकरारहक, खातेदारी घोषणा एवं बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर नागौर के समक्ष निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया। जिसे सहायक कलेक्टर ने अपने एक पक्षीय निर्णय दिनांक 28–2–97 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई इकतरफा कार्यवाहीं को निरस्त करने का निवेदन किया। सहायक कलेक्टर ने अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 21–11–01 के द्वारा स्वीकार कर वाद पुनः नंबर पर लेने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये वाद डिक्री किया था। अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस तामील करवाये गये थे किंतु वे परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं होये। ऐसी स्थिति में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का वाद एकपक्षीय डिक्री किया था। अप्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी बिना कोई ठोस कारण व आधार के वाद डिक्री होने के तीन वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे कानूनी प्रावधानों के विपरीत बिना किसी आधार के सहायक कलेक्टर द्वारा आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण को वाद की जानकारी थी तथा वह जानुबुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी तथा उसे विधिवत् तामील कराई गई थी। उसेके बावजूद उसने बिना किसी ठोस कारण अंकित किये आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मियाद के आधार पर खारिज योग्य था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रावधानों के विपरीत स्वीकार कर लिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 21—11—01 निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रार्थीगण का वाद एकतरफा डिक्री किया गया था जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जानकारी होने के बाद की तिथि से मियाद प्रारम्भ होती है तथा एकपक्षी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मियाद आडे नहीं आती। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत् तामील नहीं करवाई थी। अप्रार्थीगण को प्रकृति के न्यायिक सिद्धांत सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी ने अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के साथ सलंग्न पत्रावली, दस्तावेज व आलोच्य आदेश का गहनता से अवलोकन किया गया। वर्तमान निगरानी सहायक कलेक्टर नागौर क आदेश दिनांक 21–11–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा न्यायालय ने प्रार्थीगण के पक्ष में पारित एकपक्षीय डिक्री दिनांक 23–3–97 को इस आधार पर अपास्त किया है कि वादी(प्रार्थी) संख्या–1 व 2 गोपालसिंह व मोहनसिंह के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये उक्त डिक्री पारित की गई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उनके विरूद्ध पूर्व में रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। अतः उक्त कारण उचित प्रतीत होना बताते हुये पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28–2–97 व डिक्री दिनांक 23–3–97 को निरस्त करने का आदेश पारित किया। प्रकरण में उक्त वाद संख्या 5/94 श्यामसिंह बनाम रामसिंह वगैरह की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया। दिनांक 26–2–94 को आदेशिका में वकील वादी उपस्थित होना तथा प्रति0 संख्या 1, 4 व 5 के सम्मन स्वयं से तामीलशुदा लौट कर आना अंकित किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मोहनसिंह एवं गोपालसिंह के सम्मन उनके भाई से तामीलशुदा लौट कर आना अंकित किया है। परंतु पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होना अंकित है। दिनांक 11–7–94 की आदेशिका में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के सम्मन पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 7–9–94 की तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 7–9–94, 9–11–94, 31–3–95, 15–6–95, 7–7–95, 14–8–95 की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में वादी के अधिवक्ता द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील हेतु सम्मन ही प्रस्तुत नहीं किये। इसके उपरांत दिनांक 11–10–95 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जानबूझकर तामील नहीं कर रहे है। इस पर न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तामील कराये जाने के आदेश पारित किये तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30–11–95 नियत की गई। दिनांक 30–11–95 की आदेशिका में न्यायालय ने रजिस्टर्ड एडी से सम्मन जारी किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अनुपस्थित रहने तथा सम्मन जारी करने की अवधि 30 दिन से अधिक होने के आधार पर पर्याप्त तामील मानते हुये अदम हाजरी में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं के आदेश प्रदान किये। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। यहां पर दिनांक 11–10–95 व 30–11–95 की आदेशिकाओं का मूल रूप में उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा :– दिनांक : 11–10–95 ''वकील वादी उप0। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया है, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जानबूझकर तामिल नहीं कर रहे है। अतः दिनांक 26–9–95 की दर0 पर रजिर्स्टड ए0डी0 के तामिल कराये जाने के आदेश हो। प्रतिवादी सं.2 व 3 की जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से तामिल कराई जाकर पत्रावली दिनांक 30–11–95 को पेश हो।'' दिनांकः 30–11–95 ''पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1 श्री मोहनसिंह भाटी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को रजिर्स्ट एडी से सम्मन भिजवाये जा चुके है, जिसकी डाक रसीद संलग्न है। जिसकी अवधि 30 दिन से अधिक हो चुकी है। अतः सम्मन की सफीशिएंट सर्विस मानी जाकर अदम हाजरी में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 को भी सम्मन तामील शुदा प्राप्त हो चुक है, आज उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं। अतः प्रति.सं. 4 व 5 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाहीं की जाती है। पत्रावली वास्ते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	जवाब प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 30–12–95 को पेश हो।'' हमारे द्वारा न्यायालय आदेशिका दिनांक 11–10–95 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 गोपालसिंह व मोहनसिंह को जारी सम्मन का अवलोकन किया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30–11–95 नियत की गई थी। उक्त दोनों सम्मन वस्तुत दिनांक 13–11–95 को हस्ताक्षर होकर जारी होना अंकित है। उक्त दोनों सम्मन की पुश्त पर डाक विभाग की पंजीयन की रसीद मौजूद है जिसमें तिथि का अंकन नहीं है। अतः यह मान भी लिया जावे कि उक्त सम्मन दिनांक 13–11–95 को हस्ताक्षरित होकर उसी दिन रजिस्टर्ड एडी द्वारा भेज दिये गये है तो भी उक्त दोनों नोटिस पूर्व नियत तारीख पेशी दिनांक 30–11–95 से केवल 17 दिन पूर्व ही जारी होना पाया जाता है। अतः न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 30–11–95 की आदेशिका में 30 दिन की अवधि गुजर जाने के तथ्य का उल्लेख करते हुये तामील को पर्याप्त मानते हुये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की विरूद्ध जो एकतरफा कार्यवाहीं के आदेश दिये है वह तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज करते हुये जारी किये गये है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आता है कि दिनांक 11–7–94 से दिनांक 14–8–95 तक एक वर्ष से अधिक की अवधि में न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील हेतु सम्मन पेश नहीं किये तथा दिनांक 11–10–95 को प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर तामील नहीं कराने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर रजिस्टर्ड एडी से तामील कराने के आदेश प्राप्त किये है। न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति की भी अनदेखी करना पाया जाता है। निगरानीकार के अभिभाषक द्वारा 2006 (2) आरआरटी पेज 1092 व 1098 व 1998 डीएनजे पेज 767 क न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अप्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	द्वारा आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र वाद डिक्री होने के करीब 3 वर्ष बाद पेश किया है तथा विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नहीं किया है तथा न्यायालय द्वारा इस बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया है। परंतु प्रकरण में वादी द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील नहीं करायी गई तथा प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर तामील से बचने के मिथ्या कथन को आधार बनाकर रजिस्टर्ड एडी से तामील के आदेश पारित करवाये तथा उसके उपरांत उक्त सम्मन जारी होने व नीयत तारीख पेशी में केवल 17 दिन का ही अंतर था। ऐसी स्थिति में मियाद के तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–11–01 से उक्त एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने तथा वाद को पुनः सुनवाई पर लेने के जो आदेश पारित किये है, वे प्रकरण की स्थिति को देखते हुये सर्वथा उचित है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के. जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए./ 8036 / 2001 / नागौर
श्रीमती चंद्रकंवर वगैरह बनाम गोपालसिंह वगैरह